

25¹¹/₂₄ पत्रावली पेश है। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पेशी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाब/अन्य राजस्व कार्य प्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 21.11.25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरखाना

21¹/₂₅ पत्रावली पेश है। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पेशी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाब/अन्य राजस्व कार्य प्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 21.11.25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरखाना

18³/₂₅ पत्रावली पेश है। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पेशी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाब/अन्य राजस्व कार्य प्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 14.11.25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरखाना

14⁶/₂₅ पत्रावली पेश है। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पेशी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाब/अन्य राजस्व कार्य प्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 11.11.25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरखाना

7⁷/₂₅ पत्रावली पेश है। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पेशी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाब/अन्य राजस्व कार्य प्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 19.11.25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरखाना

19⁸/₂₅ पत्रावली पेश है। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पेशी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाब/अन्य राजस्व कार्य प्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 23.11.25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरखाना

23⁹/₂₅ पत्रावली पेश है। वकालत करीब 250।
 उलिवि गज नं. 2, 6, 11, 12 वरिद विवालय
 ही। उलिवि गज नं. 1, 5, 7, 10, 13, 14, 15 व
 18 की तारीख नहीं हुई है। जन: शेखी से
 शेख उलिवि गजों के मूल डाइरामुलत Reg. Ad.
 व शापारण तलवान पेश करे तथा उलिवि
 अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है।
 जवाब पेशा किये जाने हेतु अंतिम अवसर पत्र
 किया जा रहा है। पत्रावली वास्ते तलवी व जवाब
 वकील प्रति० दिनांक 15/10/2025 को पेशा है।

15.10.2025 पत्रावली पेश है। वकालत करीब 250।
 उलिवि से शेख उलिवि गजों के तलवाने पेश
 नहीं किये गये हैं। अब आवश्यक रूप से
 पेशा करे। प्रति० 9 को तारीख ले चुकी है।
 वकालत सूचना के अनुपस्थित रहे ले उनके
 विरुद्ध एक पत्रीय शपथी अमल में परिचाली है।

समर्थक:-

वकील परिवारों द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है।
 अब जवाब पेश करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान
 किया जाता है। प्रयावणी वाले सभी एवं
 जवाब दिनांक 19.11.25 को पेश करें। पुनश्च
 परिवार नं. 9, 10, 13, 14 व 18 की कोर्ट से
 वकील की पुनर्पेश करने हेतु जवाब पेश करने का
 पेश किया गया। शिले शामिल प्रयावणी दिया
 गया।

19.11.25 प्रयावणी पेश। अखिला बच्चु वारी उपाय। एक
 प्रारम्भिक प्रारम्भिक आदेश का पेश किया। इस
 आदेश को विद्वानों द्वारा पुनः नया आदेश पेश करना
 पाएंगे हैं। वारी का मुद्दा है कि इस आदेश में
 लिपिकीय एवं का मुनी गृहिया हैं अतः वे
 इस आदेश को विद्वानों द्वारा पेश करेंगे।

अखिला बच्चु वारी के प्राथमिक प्रारम्भिक
 प्रति प्रतिवारी अधिवक्ता को दिनांक 19.11.25
 उन्होंने अपनी अनापत्ति का हिर ही। अतः वारी
 वारी विद्वानों द्वारा जाने से खारिज किया जाता है।
 वारी का पुनः आदेश करने का अधिवक्ता
 सुरक्षित रहेगा। प्रयावणी केसल पुनः लोडर
 आदेश नकली न कर से उम लोडर दखिल
 हफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
 मनोहरमाना, जिला झालावाड़ (राज.)